

13.04.2022

प्रावली आज पेश हुई। प्राची अधिवक्ता की
उमराम रेवरी उपस्थित। पेरौठार सरकार उपस्थित।
दोनों पक्षों की बहस हुई। प्राची की मूल अपील
निर्णित हो जाने से इस स्थिति प्राची का पर ठाक
किन्ही की प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने
से इस स्थिति प्राची का के इसी स्तर पर खारिज
ठिया जाता है। निष्पत्ति से ब्यलस सुनाया गया। प्रावली
केसल सुनार बेठर नम्बर से उम है।

(डॉ. भूवर लाल)
जिला कलक्टर, तिरोही

